<u>प्रेस नोट जनपद खीरी</u>

<u>दिनाँक 09.06.2021</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयीः-

<u>चोरी की 05 मोटर साइकिल सहित 03 ऑटो लिफ्टर बाल अपचारी गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण मे अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.06.2021 को थाना गोला पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान गोला-मोहम्मदी बाईपास निकट तिवारी ढाबा से 03 बाल अपचारियों को चोरी की 02 मोटरसाइकिलों सहित पकड़ा गया और उनकी निशानदेही पर 03 अन्य चोरी की मोटरसाइकिलों को ऊंची भूड़ कस्बा गोला से बरामद किया गया।

<u>बरामदगी का विवरणः-</u>

1. 05 अदद चोरी की मोटर साइकिल

<u>थाना पसगवां पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त जॉन मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 09.06 .2021 को थाना पसगवां पुलिस द्वारा अभियुक्त जान मोहम्मद पुत्र सफायत खाँ नि0 ग्राम सिसौरा नासिर थाना पसगवां जनपद खीरी को 01 अदद अवैध तंमचा 12 बोर व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध मे थाना पसगवां पर मु0अ0स0 166/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

<u>थाना खीरी पुलिस द्वारा अवैध तमंचा व कारतूस सहित अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तार किया गया</u>

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शस्त्रों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 09.06.21 को थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त मुकेश पुत्र लल्लन निवासी ग्राम गोपालापुर थाना व जनपद खीरी को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 212/2021 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना नीमगांव पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना नीमगांव पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 04 अभियुक्तों 1. मनोज कुमार पुत्र राजाराम 2. फूल सिंह पुत्र मुन्ना लाल 3. उस्मान अली पुत्र इरफ़ान अली निवासीगण ग्राम ललता बेहड़ थाना नीमगांव जनपद खीरी 4. विपिन पुत्र राजाराम निवासी बसही चौकी ढकवा थाना हैदराबाद जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से कुल 2,010 रुपये नगद व 52 अदद ताश के पत्तें बरामद किए गए। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर जुआं अधि0 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त गोविन्द पुत्र लालजीत को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मैगलगंज पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अदद अवैध चाकू बरामद कर अभियुक्त गोविन्द पुत्र लालजीत निवासी नई बस्ती थाना मैगलगंज जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना मैगलगंज पर आर्म्स एक्ट की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन मे व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों/वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

1- थाना धौरहरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 246/21 धारा 363/366 भादवि में वांछित अभियुक्त मनोज पुत्र रामतिलक निवासी छेदीपुरवा थाना धौरहरा जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

<u>अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही, विगत 24 घंटे में 546 लीटर अवैध शराब, 18 अवैध शराब भट्ठी बरामद कर 23 अभियुक्त गिरफ्तार</u>

पुलिस अधीक्षक खीरी, श्री विजय ढुल के निर्देशन में जनपद खीरी में अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत विगत 24 घंटों में जनपद खीरी के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए **<u>546 लीटर अवैध कच्ची शराब, 18 अवैध शराब भट्ठी</u>** व शराब बनाने के विभिन्न उपकरण बरामद कर **<u>23 अभियुक्तों</u>** को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत **<u>23 अभियोग</u>** पंजीकृत किए गए। आगे भी अवैध शराब के विरुद्ध लगातार अभियान चलाकर गिरफ्तारी एवं बरामदगी निरन्तर प्रचलित रहेगीं।